न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 18/2022 अपील

उनवान

श्री सुवा पुत्र देवा जंगलिया निवासी देवीपुरा, बेमाली तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी करेडा, जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 विरूद्व आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेडा दिनांकित 25.01.2018 कंमाकित न्याय/आर्म्स लाई0/निरस्त/2017/96

1. अधिवक्ता अपीलार्थी – कन्हैयालाल सेन उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02/06/2026

1– अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि– अपीलार्थी के नाम एक बन्दूक अनुज्ञापत्र संख्या 04 सन् 1992 का लाईसेंस जो एक नाल टोपीदार बन्दूक है, जिसे दिंनाक 01/01/2017 से आगे नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार माण्डल ने आर्म्स का मार्का लगाकर मूल ही एस.एच.ओ. के पास भेजकर अनुज्ञाधारी के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण की रिपोर्ट, पटवारी हल्का से कृषि भूमि से संबधित रिपोर्ट मंगवाने हेतु आदेशित किया व थानाधिकारी करेड़ा ने लाईसेंसधारी का चाल चलन ठीक होना बताया व थानाधिकारी ने मुकदमा नम्बर 21/2014 धारा 379, 447 भा.दं.सं. मे दर्ज होना व न्यायलाय मे जैर ट्रायल होना बताया। अपीलार्थी ने अपनी ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया व अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03/01/2018 को भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश कर उक्त मुकदमो मे झूठा फंसाने हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25/01/2018 को आदेश पारित फरमाते हुए जरिये आदेश कंमाक / न्याय/आर्म्स लाई०/निरस्त/2017/96 जरिये अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र संख्या 04/1992 को रिवोक करने का आदेश दिया गया एवं बन्दूक को थाने मे जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत की जा रही है –

2– न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल का विवादित आदेश दिनांक 25/01/2018 कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनुज्ञाधारी के विरूद्ध जो मुकदमे दर्ज हुआ, जो जैर ट्रायल था उक्त मामले मे लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण हुआ है, जिसमे कारावास से दण्डित नही किया गया है। तथाकथित मुकदमे मे उक्त हथियार का उपयोग नही हुआ है व साथ ही तथाकथित मुकदमा आपसी रंजिसवश झूठा दर्ज करवाया गया है। उक्त मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा दर्ज नही है। लेकिन मनमकसूद तरीके से नवीनीकरण करना उचित

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नही है अंकित कर दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह तथ्यो के विरुद्ध होकर निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र वर्ष उक्त मुकदमा दर्ज होने के पश्चात लगातार नवनीकृत हुआ है व उक्त अवधि में अपीलार्थी ने उक्त लाईसेसशुदा शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है तथा उक्त अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करवाने का अधिकारी होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को रिवोक करने का जो आदेश दिया गया है, जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पास पर्याप्त कृषि भूमि है, उसने शस्त्र का कभी कोई दुरूपयोग नही किया है, उसका आचरण व आम शोहरत अच्छी है, बावजूद इसके न्यायालय द्वारा तथ्यो के विपरीत जाकर अनुज्ञापत्र रिवोक करने का आदेश दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नही थी व उक्त मुकदमा जैर ट्रायल होने से नवीनीकरण नही करने की बात कही, जिस पर अपीलार्थी ने उक्त बन्दूक को थाने में जमा करा दिया। प्रकरण का निस्तारण होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व प्रकरण मे लाईसेंस रिवोक करने का आदेश होने की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 12/01/2022 को पेश किया व नकल दिनांक 18/01/2022 को प्राप्त हुई तब प्रथम बार उक्त आदेश की जानकारी हुई व जानकारी होते ही अविलम्ब अपील तैयार करवा यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है। लेकिन निर्णय की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमा उक्त आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे व अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत किये जाने का आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

3— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 06.07.2022 को पजीबद्व किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये।** सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

4— **अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि—** अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र वर्ष उक्त मुकदमा दर्ज होने के पश्चात लगातार नवनीकृत हुआ है व उक्त अवधि में अपीलार्थी ने उक्त लाईसेसशुदा शस्त्र का दुरूपयोग नही किया है तथा उक्त अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करवाने का अधिकारी होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को रिवोक करने का जो आदेश दिया गया है, जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के पास पर्याप्त कृषि भूमि है, उसने शस्त्र का कभी कोई दुरूपयोग नही किया है, उसका आचरण व आम शोहरत अच्छी है, बावजूद इसके न्यायालय द्वारा तथ्यो के विपरीत जाकर अनुज्ञापत्र रिवोक करने का आदेश दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की अपीलार्थी को जानकारी नही थी व उक्त मुकदमा जैर ट्रायल होने से नवीनीकरण नही करने की बात कही, जिस पर अपीलार्थी ने उक्त बन्दूक को थाने में जमा करा दिया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमा उक्त आलोच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावे व अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत किये जाने का आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

5— प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना करेडा के पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 18.04.2026 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि अपीलार्थी श्री सुवा पुत्र देवा जंगलिया निवासी देवीपुरा थाना करेडा के विरूद्व ग्राम न्यायालय माण्डल के प्रकरण संख्या 35/2014 अपराध धारा 447, 370 भा.द.स. निर्णय दिनांक 02.01.2020 पश्चात् 01 साल की परिवीक्षा अवधि पर छोड दिये जाने के उपरान्त वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्व कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।

6— **अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात/रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि—** अपीलार्थी के विरूद्व मुकदमा नम्बर 21/14 धारा 379, 447 आई.पी.सी. में दर्ज होकर सी.एस.नम्बर 2/14 दिनांक 16.01.2014 को कता की गई जो न्यायालय में जैर ट्रायल था। अपीलार्थी को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं दिया गया। लोकशान्ती एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री सुवा पुत्र देवा जंगलिया निवासी देवीपुरा, तहसील करेडा के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र 4/92 एक नाल टोपीदार बन्दूक को रिवोक (निरस्त) किया जाने का पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 विधिसम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट 1959 खारीज की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करेडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक 96 दिनांक 25.01.2018 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेडा, जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा